न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 137 / 2024 GCMS NO. 2024/336 उनवानी रामचन्द्र सिंह आदि बनाम धर्मपाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण उपस्थित आये। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वादीगण ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 110, 111 व 221 में दर्ज वादीगण के नाम के आगे उनके पिता का नाम मनु सिंह हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मोहन सिंह घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नगंली सलेदीसिंह की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 110, 111, 221 में वादीगण के पिता का नाम मनुसिंह दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के समस्त पहचान दस्तावेजात् में **मोहन सिंह** दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि मनुसिंह तथा मोहन सिंह दोनों एक ही व्यक्ति है तथा वादीगण के पिता को ग्राम में बोलचाल में नाम मनुसिंह तथा दस्तावेजों में वास्तविक नाम मोहन सिंह ही था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र तथा स्वयं के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में भी वादीगण के पिता का वास्तविक नाम मोहन सिंह है। तहसीलदार खेतडी ने मनुसिंह के स्थान पर मोहन सिंह शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/1086 दिनांक 18.09.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नगंली सलेदीसिंह की हाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या **110, 111, 221** में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **पर्वत सिंह, रामचन्द्र सिंह पुत्रान मनुसिंह** के स्थान पर **पर्वत सिंह, रामचन्द्र सिंह पुत्रान मोहन सिंह** शुद्ध किया जा[illegible] तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत र[illegible] रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का [illegible] हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आ[illegible] की प्रति सहित तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी, खेतडी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yo
Date: 2024.12.09 17:39:01 IST
Reason: SelfAttested